निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 397) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

28 जून 2011

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–4/11–7365 (एस)—श्री बिन्दा सिंह, सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित), अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तत्कालीन अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में पथ प्रमंडल, खगड़िया अन्तर्गत खगड़िया–परिहारा–बखरी पथ, महेशपुर–गोगरी–पर्वता–सुलतानगंज घाट पथ एवं नवगछिया तिनटंगा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का निरीक्षण कर समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह द्वारा अंकित किया गया कि संवेदक मेसर्स अजन्ता कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा पूरे मनोयोग से कार्य किया जा रहा है तथा भविष्य में भी करते रहने की संभावना है, जबकि स्वयं संवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र के अनुरूप कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाया गया। इस तरह श्री सिंह द्वारा समर्पित गलत प्रतिवेदन के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–1011 (एस) दिनांक 27 जनवरी 2011 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री बिन्दा सिंह, सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित), अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य, दिनांक 10 फरवरी 2011 में अंकित किया गया कि स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत तीनों पथों में कार्य चल रहा था, कार्य स्थल पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं उस वक्त लगा कि संवेदक कार्य करने के प्रति जागरूक हो गया है, गुणवता में थोड़ी बहुत कमी पायी गयी जिसका जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था, संवेदक से उनकी कोई सहभागिता नहीं थी क्योंकि आंशिक गड़बड़ी को प्रकाश में लाया गया था जाँच के

बाद संवेदक ने कार्य को मनोयोग से पूरा करने में कोई कोताही बाद में बरती हो तो इसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं है।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि इन्होंने अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए अपने पूर्व जाँच प्रतिवेदन को ही उद्घृत किया है जिसमें उन्होंने संवेदक के मनोयोग से कार्य करने और भविष्य में करते रहने की संभावना व्यक्त की थी। स्पष्टतः यह तथ्य स्थापित होता है कि श्री सिंह का प्रतिवदेन सुस्पष्ट एवं निष्पक्ष नहीं था जो उनके संवेदक से मिलीभगत को इंगित करता है।

तद्आलोक में श्री विन्दा सिंह, सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित), अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीरकण पत्रांक–शून्य, दिनांक 10 फरवरी 2011 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) "निन्दन" एवं

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 397-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in